P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-IV*December-2014
E: ISSN NO.: 2349-980X

खाद्यान्न सुरक्षा अधिकार– एक चुनौती

आनन्द कुमार सिंह
असि0 प्रोफेसर,
वाणिज्य संकाय,
काशी नरेश राजकीय पी0जी0 कालेज,
ज्ञानपुर, भदोही।

सारांश

खाद्य सुरक्षा अधिकार देश में एक बड़े भाग को दो वक्त की रोटी उपलब्ध कराने की एक पहल है। इसके आधार पर भोजन प्राप्त करना उन सभी लोगों का अधिकार होगा जो किसी के रहमोकरम पर आश्रित थे। अधिकार की अवहेलना पर इस कानून के आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

मुख्य शब्द : खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, सशक्तिकरण, चुनौती

प्रस्तावना

विकासशील देश भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं और उस स्थिति में उनके लिये अनाज उपलब्ध कराना ही एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है।

इस योजना में एक बड़ी उपलब्धि के बाद भी तमाम बहुत सी ऐसी विसंगतियाँ हैं जो उद्देश्य को पूरा करने में बाधक बन सकती हैं। इन चुनौतियों से पार पाये बगैर जनता को इसका लाभ नहीं दिलाया जा सकता। इसमें भुखमरी तो कम की जा सकती है लेकिन कुपोषण की बात तो मृग मारिचिका से कम नही है। अतः इस कानून की जाँच पड़ताल किया जाना आवश्यक है और एक बड़ा मुद्दा भी। इसको हम निम्न रूपों में देख सकते हैं–

योजना

इस योजना के अन्तर्गत हर महीने प्रति व्यक्ति के हिसाब से पाँच किलोग्राम चावल, गेहूँ या मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 व 1 रूपये प्रति किग्रा0 की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

क्षेत्र

इस योजना से देश की 67 प्रतिशत आबादी अर्थात् 82 करोड़ जनसंख्या की भूख व कुपोषण का दावा किया जा रहा है। इसमें 75 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र से और 50 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र से होगें।

कुल खर्च

योजना की कुल लागत प्रतिवर्ष 1.30 लाख करोड़ रूपये का अनुमान है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) का एक प्रतिशत है। वर्तमान समय में 90 हजार करोड़ रू0 खाद्य सब्सिडी के रूप में सरकार खर्च कर रही है। इस कानून के लागू होने पर सरकार के खजाने से 40 हजार करोड़ रूपयें और खर्च होगें।

कुल अनाज की जरूरत

इसके लिए कुल 6.2 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी।

प्रक्रिया

भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा उचित मूल्य पर राशन की दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराये जायेगें। वर्तमान में FCI पूरे देश में 5 लाख से अधिक ऐसी दुकानें संचालित कर रहा है।

इस योजना से 82 करोड़ लोगों को भूख व कुपोषण से बचाने की भी बात की जा रही है। महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। परिवार की वरिष्ठ महिला के नाम राशन कार्ड बनाकर उसी को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा।

कमिया

1. सरकार पहले से ही वित्तीय घाटे के बोझ से दबी जा रही है। इसके लागू होने से खजाने पर एक बड़ा बोझ और बढ़ जाएगा। इसके लागू होने से वित्तीय घाटा G.D.P. के 5.1 प्रतिशत पहुँचने का अनुमान है।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और विस्तार देने का अर्थ है कि रिसाव का नया रास्ता खोल देना। हमारा अनुभव बताता है कि खाद्यान्नों के रख–रखाव की देश में जो व्यवस्था है वह आज के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि यह नया बोझ आ जाएगा तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी।

3. केन्द्र और राज्यों के बीच तमाम मुद्दों पर असहमति के चलते इसका क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य में कठिन होगा खास कर उन राज्यों के लिए जहां इससे अच्छी योजना पहले से ही चल रही है।
4. लाभान्वितों की पहचान एक मुख्य समस्या होगी। अभी तक पहचान के जो तरीके अपनाये गये हैं उनके परिणाम का अनुभव बहुत खराब रहा है। इस बार अमीरों को पहचान कर गरीबों के दायरे से बाहर किये जाने की सकारात्मक सोच की आवश्यकता है।
5. इससे भुखमरी दूर नहीं हो सकती। औसत रूप से अपने देश में प्रति व्यक्ति हर महीने 10.7 किग्रा0 अनाज का उपयोग करता है। ऐसे में यदि इस कानून के आधार पर केवल 5 किग्रा0 अनाज दिया जाएगा तो बाकी 5.7 किग्रा0 अनाज कहाँ से उपलब्ध होगा।
6. लोगों को मोटे अनाज के साथ ही साथ दाल, सब्जी, तेल, दूध, फल की भी आवश्यकता होती है। बिना इसके वह गेहूँ अथवा चावल से अपनी भूख शान्त नहीं कर सकता है।
7. कुपोषण दूर करने के लिए प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए पोषित तत्व आवश्यक है।आटा 285 ग्राम, चावल 285 ग्राम, दाल 50 ग्राम, पत्तेदार सब्जियां 50 ग्राम, अन्य सब्जियां 100 ग्राम, कंद 60 ग्राम, दूध 200 ग्राम, तेल व वसा 40 ग्राम। इनके आधार पर ही कुपोषण दूर हो सकता है।
8. इस कानून के आधार पर सस्ती दर पर खाद्यान्न पाने के कारण यदि किसान अपने लिए अनाज का उत्पादन बंद कर दे तो (देश की एक बड़ी आबादी जो स्वयं खाद्यान्न उत्पन्न करके अपने भोजन की व्यवस्था कर रही है।) खाद्य उत्पादन पर बड़ा असर पैदा करेगा।

बेहतर विकल्प

यदि सरकार खाद्यान्न के द्वारा सहायता न करके आय के स्तर पर सहयोग करके प्रत्यक्ष नकद हस्तान्तरण करे तो यह एक बेहतर तरीका हो सकता है। यह तरीका अनाज उत्पादन व बाजार में उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं का अंत कर सकती है। इसके लिए सरकार इसे उन स्थानों पर लागू करे जहां पर्याप्त बैकिंग नेटवर्क है। धीरे–धीरे बैकिंग नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाए और इसको विस्तार दिया जाए। अन्यथा खाद्यान्न सुरक्षा अधिकार मनरेगा तथा इसी से सम्बन्धित अन्य योजनाओं की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा।

सन्दर्भ–सूची

1. टाइम्स ऑफ इण्डिया।
2. इण्डियन एक्सप्रेस।
3. द नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2011, 27वीं रिपोर्ट।
4. हिन्दुस्तान टाइम्स।
5. दैनिक जागरण।
6. योजना।